



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 475 राँची, मंगलवार, 7 आश्विन, 1942 (श०)
29 सितम्बर, 2020 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

19 सितम्बर, 2020 ई०।

संख्या-11/म०बा०-04/2019- 3440 -- गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अ०स० पत्र संख्या-15011/31/2019-ATC, दिनांक-02.06.2020 में निहित दिशा निर्देश के आलोक में झारखण्ड राज्य के निम्नांकित जिलों के लिए Anti Human Trafficking Unit (AHTU) स्वीकृत करते हुए संबद्ध थानों को अधिसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	जिला का नाम	AHTU की संख्या	संबद्ध थाना का नाम
1	धनबाद	01	टाउन थाना
2	पूर्वी सिंहभूम	01	घाटशिला थाना
3	सरायकेला-खरसावाँ	01	सरायकेला थाना
4	गढ़वा	01	महिला एवं बाल संरक्षण थाना
5	हजारीबाग	01	सदर थाना

6	कोडरमा	01	तिलैया थाना
7	चतरा	01	सदर थाना
8	रामगढ़	01	महिला थाना
9	बोकारो	01	बेरमो थाना
10	पाकुड़	01	लिट्टीपाड़ा थाना
11	देवघर	01	जसीडीह थाना
12	जामताड़ा	01	नारायणपुर थाना

2. इन अधिसूचित थानों का कार्यक्षेत्र संबंधित जिला का संपूर्ण क्षेत्र होगा तथा इसमें AHTU जिला के अन्य थाना क्षेत्रों के अवैध मानव व्यापार से संबंधित मामले भी पंजीकृत किए जायेंगे एवं अनुसंधान किए जायेंगे।

3. इन इकाईयों द्वारा अवैध मानव व्यापार की रोकथाम रक्षा एवं अभियोजन हेतु आवश्यक अभिलेखों के संधारण तथा इस अपराध एवं अपराधियों/गिरोहों से संबंधित पूर्ण ब्योरा (Data Base) तैयार कर रखे जायेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।
